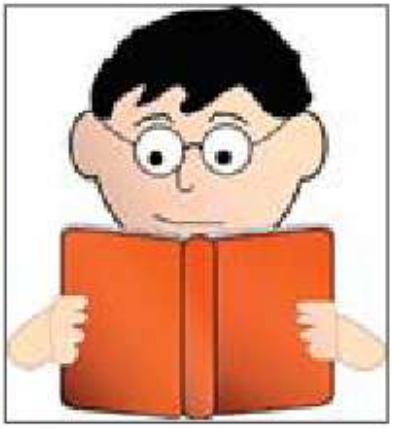
दिव्य हिमाचल E-Paper
देवभूमि का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया

नौंवी कक्षा के छात्रों को आयुसीमा में विशेष छूट

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं में पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं में पंजीकरण के लिए निर्धारित आयु संबंधी नियमों को लेकर विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों एवं अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। डा. शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार छह माह तक की आयु छूट के लिए बोर्ड की परीक्षा विनियमावली के विनियम 4-9-3 में कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को दिए गए प्रावधान के अनुरूप राहत प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित आयु सीमा से छह माह से अधिक की छूट के पात्र मामलों में भी विशेष आयु छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित विद्यार्थियों के प्रकरणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार एवं स्वीकृति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

Amar Ujala dt. 15.11.26

नौवीं कक्षा में पंजीकरण के लिए आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट

धर्मशाला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा नौवीं में पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि छह माह तक की आयु छूट के लिए बोर्ड की परीक्षा विनियमावली के विनियम 4.9.3 में कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप राहत दी जाएगी। इससे अधिक छूट के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ब्यूरो

Dainik Jagran dt. 15.11.26

नौवीं के पंजीकरण में आयु सीमा में छह माह की छूट

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नौवीं कक्षा के पंजीकरण के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आयुसीमा में विशेष छूट मिलेगी। आयु संबंधी नियमों को लेकर विभिन्न स्तरों से मिली शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि पात्र विद्यार्थियों को पंजीकरण में अनावश्यक कठिनाई न हो।



डा. राजेश शर्मा
● जागरण आर्काइव

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, छह माह तक की आयुसीमा छूट परीक्षा विनियमावली के विनियम 4.9.3 के तहत दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए गए प्रविधान के अनुरूप होगी। ऐसे मामलों में संबंधित विद्यार्थियों के प्रकरणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार करना अनिवार्य होगा। डा. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नौवीं कक्षा के पंजीकरण पर लागू होगी। पंजीकरण के अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

100%

Himachal Dastak Dt. 15-11-2026

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 9वीं के विद्यार्थियों को आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नौवीं कक्षा में पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आयु संबंधी नियमों को लेकर प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदनों के आधार पर यह राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित आयु सीमा में छह माह तक की छूट बोर्ड की परीक्षा विनियमावली के नियम 4.9.3 के तहत दसवीं के विद्यार्थियों को दिए गए प्रावधानों के अनुरूप मिलेगी। वहीं, छह माह से अधिक की छूट के पात्र मामलों में भी विशेष राहत दी जा सकेगी, लेकिन इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नौवीं कक्षा के पंजीकरण पर लागू होगी। संबंधित मामलों को विधिवत विचार और स्वीकृति के बाद ही राहत मिलेगी। पंजीकरण की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

नौवीं के छात्रों को आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट : डॉ. राजेश शर्मा

सवेरा न्यूज/ ब्यूरो धर्मशाला, 14 नवंबर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं में पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं में पंजीकरण के लिए निर्धारित आयु संबंधी नियमों को लेकर विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों एवं अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आयु संबंधी निर्धारित मानदंडों के कारण किसी भी पात्र विद्यार्थी को पंजीकरण में अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। डॉ. शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार छह माह तक की आयु छूट के लिए बोर्ड की परीक्षा विनियमावली के विनियम 4.9.3 में कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को दिए गए प्रावधान के अनुरूप राहत प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित आयु सीमा से छह माह से अधिक की छूट के पात्र मामलों में भी विशेष आयु छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

NOVEMBER 15, SUNDAY HIMACHAL PRADESH

The Sunny Times

HIMACHAL PRADESH SCHOOL EDUCATION BOARD EASES AGE LIMIT FOR CLASS 9 REGISTRATION

The Sunny Times | Dharamshala |

The Himachal Pradesh School Education Board has decided to give students some relief on the age limit for Class 9 registration for the 2026-27 academic session. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma announced the decision.

Dr. Sharma said the board took this step after receiving complaints and requests from different quarters about the existing age rules. The aim is to make sure that no eligible student faces unnecessary trouble while registering because of age requirements.

Under the decision, students who are up to six months above the prescribed age limit will receive relief in line with the rule already in place for Class 10 students under Regulation 4.9.3 of the board's examination regulations. The board has also made room for special exemptions in cases where the age gap is more than six months. However, each of these cases must be reviewed and approved by the competent authority before the student can be registered.

Dr. Sharma said the board wants to give students fair opportunities so that their education is not disrupted by age-related problems. He clarified that the relaxation applies only to students registering for Class 9 in the 2026-27 session whose cases have been duly considered and approved. All other registration rules and conditions will remain unchanged.

